मल्ला बनाम राज.सरकार अपील संख्या 2011/00013

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील मियाद बाहर पेश करने के संतुष्ट कारण अंकित किये जाने के कारण एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील में अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी के पूर्वजो के समय से कदीम से ग्राम माण्डावास में खसरा नम्बर 314 रकबा 14 बीघा में उत्तरी दिशा की तरफ ढ़ाई बीघा भूमि एवं खसरा नम्बर 349 कुल रकबा 28 बीघा हैं उसके उत्तरी दिशा में 4 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं इस भूमि पर मकान व बाड़ा आदि बने हुए जिसके विरूद्ध हल्का पटवारी ने धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की इस पर तहसीलदार, ब्यावर ने अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश किया, जिसके असतुष्ट होकर अपीलार्थी ने अपर जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत तथा अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.2002 को पारित करते हुए रिहायशी आवास के नियमन बाबत् कार्यवाही करने बाबत् निर्देश कर दिये जबकि अपीलार्थी द्वारा बाड़ा आदि बना रखे हैं जिनकी कार्यवाही बाबत् किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किया तथा नियमन बाबत् जो निर्देश दिये है उसकी पालना में कार्यवाही करने के बजाय तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 18.02.2011 को नोटिस जारी कर दिनांक 23.02.2011 को हाजिर होने का आदेश देते हुए पुनः अपीलार्थी को धमकाया गया। इस कारण अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 से असंतुष्ट होकर एवं व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा से समक्ष प्रस्तुत की हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आवासीय परिसर के अलावा बाड़े आदि के नियमन बाबत् विचार नहीं कर अपील को निस्तारित कर भारी त्रुटि कारित की हैं तथा मकान का नाप चौक करने बाबत् आदेश प्रदान किया हैं इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाड़े आदि बाबत् आदेश प्रदान नहीं कर, जो निर्णय दिनांक 09.04.2002 पारित किया है वह बाडे के नियमन बाबत् परिवर्तित किये जाने योग्य हैं। राज्य सरकार के परिपत्रः– क्रमांकःप.9(6)राज–6/2000/16, जयपुर दिनांक 16.10.2001 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया हैं कि ग्रामिण क्षैत्रों में सिवायचक, चारागाह, गैरमुमकिन

भूमि, पर दिनांक 01.07.89 से पूर्व आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्हीं शर्तो और निर्बन्धनों पर किया जावें, जो दिनांक 18.02.1955 से 01.07. 1975 तक किये गये अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते है और जो इस विभाग के परिपत्र क्रमांकः प6(17)राज–ख/71 दिनांक 03.07.1971 तथा परिपत्र क्रमांकः6 (10)राज–4/77 दिनांक 23.04.1977 में उल्लेखित हैं। उपरोक्त परिपत्रो सं स्पष्ट है कि अपीलार्थी का भौतिक धारण कदीम से चला आ रहा हैं इस बाबत् स्पष्ट निर्देश नहीं देकर केवल आवासीय भूमि बाबत् आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि कारित की हैं तथा जो कृषि भूमि है जिस पर बाड़े बने हुए हैं उस पर नियमन बाबत् उपरांक्ति परिपत्र के अनुसरण में अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश संशोधित किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2002 को दुरूस्त करते हुए बाड़े आदि बाबत् नियमन करने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट ने उपरोक्त परिपत्र का हवाला तो दिया किन्तु अपने कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 09.04.2002 भी विधि सम्मत नहीं हैं इसलिए अपील निरस्त फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.04.2002 को निरस्त किया जावें तथा तहसीलदार, ब्यावर के आदेश विधि सम्मत होने के कारण यथावत् रखे जावें।

हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.2002 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया था कि वे अपीलार्थी का रिहायसी मकान बना हुआ है उस भाग का नाप–चोप कर राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमन की कार्यवाही पृथक से प्रारंभ करे तथा शेष भू–भाग के लिए नियमानुसार बेदखली एवं शास्ति की कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत हैं। अपीलांट द्वारा उपरोक्त परिपत्र का हवाला तो दिया किन्तु अपने कथन की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये है इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं अधीनस्थ नयायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 09.04.2002 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।